Date: - 03-07-2019

## // आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु महत्तवपूर्ण सूचना //

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का चयन किया है उन्हें EWS कोटे की सीट आवंटित होने पर प्रवेश के समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 02 जुलाई 2019 में संलग्न प्रारूप में सक्षम अधिकारी मध्य प्रदेश शासन (अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवंटन उपरांत प्रवेश के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त होगा एवं वह आगामी चरणों की काउंसिंलिंग के लिये अपात्र होगा।

## Important Notice for registered E.W.S. candidates

Such candidates who have selected option of EWS at the time of registration, will have to produce certificate issued by authorised officer of Madhya Pradesh at the time of admission after allotment, as per the proforma attached with the notice issued by Madhya-Pradesh General Administrative Department Mantralaya, dated 02 July 2019 regarding EWS reservation.

In case of failure to produce certificate at the time of admission after allotment, candidates allotment will be cancelled and candidate will be ineligible to participate in subsequent rounds of counselling.

Madhya Pradesh